भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3836

उत्तर देने की तारीख-16/03/2026

सरकारी स्कूलों में परामर्श केंद्र

†3836. **श्री मोहिब्बुल्लाह:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में बाल मार्गदर्शन और परामर्श केंद्र की सुविधा वाले सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की कुल संख्या राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी है;
(ख) स्कूलों और उच्चतर शिक्षण संस्थानों में परामर्शदाताओं और विशेष शिक्षकों के स्वीकृत और भरे गए पदों की संख्या कितनी है;
(ग) रैंप, सुलभ शौचालय, लिफ्ट, ब्रेल सामग्री और सहायक प्रौद्योगिकियों की उपलब्धता सहित दिव्यांग-अनुकूल के रूप में प्रमाणित स्कूलों, स्नातक महाविद्यालयों और स्नातकोत्तर महाविद्यालयों की संख्या कितनी है;
(घ) क्या सरकार द्वारा दिव्यांगता कानूनों के तहत अनुपालन संपरीक्षा की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) देश के सभी शैक्षणिक संस्थानों को बाधा मुक्त बनाने के लिए निर्धारित समय-सीमा और वित्तीय आवंटन का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है, जिसमें अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रशासन के प्रशासनिक नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन हैं। अपनी ओर से, शिक्षा मंत्रालय (एमओई) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 द्वारा मार्ग निर्देशित है, जिसमें इष्टतम अधिगम परिणामों के लिए मानसिक स्वास्थ्य मामलों के संबंध में जागरूकता पैदा करने, शैक्षणिक तनाव को कम करने, आनंदमय अधिगम को बढ़ावा देने और सामुदायिक जुड़ाव बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

इस उद्देश्य के लिए, मंत्रालय केंद्र प्रायोजित योजना समग्र शिक्षा के तहत प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को बुनियादी सुविधाओं के निर्माण और संवर्धन के माध्यम से मौजूदा सरकारी स्कूलों को सुदृढ़ करने और कैरियर मार्गदर्शन, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक-भावनात्मक कल्याण, आत्मरक्षा आदि से संबंधित गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, इस मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और समग्र कल्याण से संबंधित मामलों की निगरानी और समाधान के लिए जिला स्तर पर समर्पित समितियों का गठन करने और स्कूलों में प्रशिक्षित परामर्शदाताओं की भागीदारी की सुविधा के लिए नियुक्ति हेतु अपने स्वयं के दिशानिर्देश तैयार करने की सलाह दी है और उन्हें प्रोत्साहित किया है। इसके अलावा, इस मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने अपने संबद्धता उपनियमों में इससे संबद्ध प्रत्येक माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में परामर्शदाता और कल्याण शिक्षक की नियुक्ति को अनिवार्य बना दिया है।

यह मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शिक्षकों को प्राथमिक परामर्शदाताओं के रूप में कार्य करने के लिए प्रशिक्षित और दक्ष करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है, जो छात्रों को पेशेवर सहायता के लिए भेजने से पहले सहायता की पहली पंक्ति के रूप में कार्य करते हैं। यूडाइज+ 2024-25 के अनुसार, लगभग 4.48 लाख स्कूलों ने शिक्षकों को प्रथम स्तर के परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया है।

(ख): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में होने के कारण; विशेष शिक्षकों और परामर्शदाताओं सहित स्कूल कर्मचारियों की भर्ती के साथ-साथ उनकी सेवा शर्तों और तैनाती, मुख्य रूप से संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के क्षेत्राधिकार में आती है। यूडाइज+ 2024-25 के अनुसार, देश में 1,12,340 स्कूलों में एक समर्पित विशेष शिक्षक है।

केंद्रीय विद्यालयों (केवि) में विशेष शिक्षकों के लिए कुल 987 संस्वीकृत पद हैं। केवि में जहां विशेष शिक्षक के लिए संस्वीकृत पद उपलब्ध नहीं है या पद रिक्त है, विशेष शिक्षकों को मानदंडों के अनुसार संविदात्मक आधार पर नियुक्त किया जाता है। जहां तक परामर्शदाताओं का संबंध है, सभी केवि को फिलहाल सभी स्कूलों में परामर्शदाताओं को संविदा के आधार पर नियुक्त करने हेतु निदेश जारी किए गए हैं। नविस में विशेष शिक्षक के लिए संस्वीकृत पदों की संख्या 495 है। नवोदय विद्यालय समिति में प्रत्येक जवाहर नवोदय विद्यालय (जनवि) में संविदा के

आधार पर दो परामर्शदाताओं (एक पुरुष और एक महिला) की नियुक्ति का प्रावधान है और देश भर के जनवि में संविदा के आधार पर कुल 830 सलाहकारों को नियुक्त किया गया है।

उच्चतर शिक्षा संस्थानों में प्रवेश लेने वाले सभी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, यूजीसी ने "भारत के उच्चतर शिक्षा संस्थानों में शारीरिक फिटनेस, खेल, छात्रों के स्वास्थ्य, कल्याण, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए दिशानिर्देश" तैयार किए हैं। इन यूजीसी दिशानिर्देशों में छात्र सेवा केंद्र (एसएससी) के लिए कम से कम कुछ समर्पित, पेशेवर रूप से प्रशिक्षित परामर्शदाता इसके निदेशक या प्रभारी के अधीन कार्य करने का प्रावधान किया गया हैं। परामर्शदाताओं को परियोजना-आधारित पद्धति में संबंधित संस्थानों के मनोविज्ञान और शारीरिक शिक्षा विभागों से भी नियुक्त किया जा सकता है।

(ग) से (ङ): यूडाइज+ 2024-25 के अनुसार, 14.71 लाख स्कूलों में से 11.64 लाख स्कूलों में रैंप हैं, 8.08 लाख स्कूलों में हैंड्रिल वाले रैंप हैं, 5.23 लाख स्कूलों में विशेष जरूरतों वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के अनुकूल शौचालय हैं। इसके अतिरिक्त, समग्र शिक्षा योजना के लिए वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपी एंड बी) के तहत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर, नेत्रहीनता (VI) और कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए बड़ी प्रिंट वाली पाठ्यपुस्तकों सहित ब्रेल सामग्री के साथ-साथ सहायक उपकरणों हेतु अनुमोदित किया जाता है।

शैक्षणिक संस्थानों में अभिगम्यता लेखा परीक्षा करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों के लिए अभिगम्यता संहिता को दिनांक 12 जनवरी, 2024 को स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा अधिसूचित किया गया था और इसे दिनांक 20 जून, 2024 को आरपीडब्ल्यूडी नियमों के तहत अधिसूचित किया गया था। यह संहिता दिव्यांग बच्चों के लिए स्कूल सुविधाओं तक पहुंच हेतु भौतिक बाधाओं और सूचना एवं संचार बाधाओं की जांच करती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अधिसूचित कोड के अनुसार अनुपालन और अभिगम्यता लेखा परीक्षा करने के लिए दिनांक 19 जनवरी, 2024 को एक परामर्श जारी किया गया था।

शैक्षिक संस्थानों को बाधा मुक्त बनाने के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं समग्र शिक्षा और पीएम श्री विद्यालय योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्कूलों में पहचानी गई अवसरंचनात्मक कमियों के आधार पर प्रत्येक वर्ष आवश्यक निधियों का

प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। सीडब्ल्यूएसएन-अनुकूल अवसरंचना विकास सहित प्रस्तावों की योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार परियोजना अनुमोदन बोर्ड द्वारा जांच और अनुमोदित किया जाता है।

उच्चतर शिक्षा संस्थानों में समावेशिता और सुलभता को बढ़ावा देने के लिए, यूजीसी ने 'उच्चतर शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों के लिए सुलभता संबंधी दिशानिर्देशों और मानकों' को तैयार किया है और इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा दिनांक 19.01.2024 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया गया है। सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) को इन दिशानिर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी गई है, जो समावेशी शिक्षा में योगदान देता है और समावेशी तथा प्रौद्योगिकी-सक्षम शिक्षा पर बल देकर और दिव्यांग छात्रों सहित सभी के लिए समानता और पहुंच सुनिश्चित करके एनईपी, 2020 के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता करता है।

यूजीसी ने दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों को एक परामर्श भी जारी किया है। यूजीसी ने दिनांक 16.07.2024 को जारी पत्र/परिपत्र में उल्लेख किया है कि सभी छात्रों को उनकी पूरी क्षमता प्राप्त करने में सक्षम करने हेतु समावेशी और सुलभता का वातावरण देना सुनिश्चित करना शैक्षणिक संस्थान का सामूहिक उत्तरदायित्व है।

इसके अतिरिक्त, यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को दिव्यांग छात्रों के लिए बाधा मुक्त वातावरण बनाने के लिए अपने सामान्य विकास सहायता (जीडीए) अनुदान से 1 लाख रुपये निर्धारित करने हेतु निदेशित किया है।
